स्पीड–पोस्ट

संख्या डी.-31016/22/2008-सामान्य
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001, दिनाँक 14.10.08

सेवा में,

सूची अनुसार

विषय;- भोजनालय की व्यवस्था हेतु !

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको इस मंत्रालय के नासा, नैशनल एकाडमी ऑफ स्टेटिसटिकल एडमिनिसट्रेशन, प्लाट न0 – 22, नोलेज पार्क – II, ग्रैटर नौएडा, उत्तर प्रदेश (नजदीक इण्डिया एक्पोमार्ट) में भोजनालय की व्यवस्था के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए सील बन्द कोटेशन देने के लिए आमंत्रित किया जाता है ! आप निम्नलिखित व्यवस्था के रेट दें :–

1. साधारण थाली (प्रति)
   दाल, सब्जी, चावल, दो रोटी व सलाद (कम से कम रू0 15/–)
2. स्पैशल थाली (प्रति)
   दाल, सब्जी, चावल, दो रोटी, पापड, सलाद व एक मीठा (कम से कम रू0 35/–)
3. विभिन्न तरह की मिठाई (प्रति)
   गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, रस मलाई, बालूसाई, बेसन का लड्डू व बेसन की बर्फी
4. विभिन्न तरह की नमकीन (प्रति)
   समोसा, ब्रेड पकोडा, पालक, प्याज व आलू का पकोडा, कटलेट, आलू की टिक्की व मठठी
5. चाय (प्रति) (प्रति 200 मि.लि.)
   साधारण चाय (कम से कम रू0 2.50/–), डिप चाय
6. स्पैशल चाय (प्रति) (प्रति 200 मि.लि.)
   ब्लैक टी, लैमन टी + 02 बिस्कुट (कम से कम रू0 4.00/–)
7. कॉफी (प्रति) (प्रति 200 मि.लि.)
   साधारण (कम से कम रू0 4.00/–), स्पैशल (कम से कम रू0 5.00/–)
8. चिकन प्लेट
9. मटन प्लेट
10. छोले बटूरे प्लेट
11. डोसा सादा (प्रति)
12. डोसा मसाला (प्रति)
13. वडा प्लेट
14. इडली प्लेट
15. गाजर का हलवा प्लेट
16. रोटी प्रति
17. छः पूरी सब्जी प्लेट
18. सब्जी प्लेट
19. कोल्ड ड्रिंक (प्रति) (एम.आर.पी. के अनुसार)
20. मिर्नियल वाटर बोतल (प्रति) (एम.आर.पी.के अनुसार)

2. होस्टल के लिए 25 से 70 व्यक्तियों की भोजन/जलपान व्यवस्था सदैव उपलब्ध होनी अनिवार्य है !

3. मंत्रालय द्वारा भोजनालय की जगह, बिजली, पानी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी !

राममोहन

जारी/–

4. जिस कम्पनी के पास कम से कम सरकारी मंत्रालयों/कार्यालयों इत्यादि में भोजनालय चलाने का 03 वर्ष का अनुभव, कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र तथा लाईसंस होगा, उसे प्राथमिकता दी जाएगी ! कोटेशन के साथ निवास का सबूत (राशन कार्ड, बिजली बिल की फोटो प्रति इत्यादि,) पेन कार्ड की फोटो प्रति इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है !

5. कोटेशन के साथ रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) का ड्राफ्ट इस मंत्रालय के वेतन व लेखा अधिकारी के नाम संलग्न करना अनिवार्य है । बिना ड्राफ्ट के कोटेशन मान्य नहीं होगी । यदि आपको कार्य आवंटित किया जाता है और आप कार्य करने से इन्कार करते हैं तो आपकी उक्त राशि जब्त कर ली जाएगी ।

6. कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के नाम दिनाँक 29 अक्तूबर 2008 तक अपराह्न 3.00 बजे तक इस मंत्रालय के स्वागत कक्ष के बाहर बने कोटेशन बाक्स में डाली जा सकती है । तदोपरान्त प्राप्त होने वाली कोटेशन मान्य नहीं होगीं ! कोटेशन उसी दिन कमरा न0 222ए द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन मे अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएँगी । आप स्वंय या आपके प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय पर उपस्थित रह सकते हैं ।

7. सफल कोटेशन वाली कम्पनी को इस मंत्रालय के सरकारी खजाने में रू0 25,000/– (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की राशि का ड्राफट जमानत राशि के तौर पर जमा कराना अनिवार्य होगा !

8. आपका कार्य संतोषजनक या कार्य की शिकायत प्राप्त होने की अवस्था में, इस मंत्रालय को आपको आबंटित उक्त कार्य रद्द करने का तथा आपकी जमानत राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

9. इस मंत्रालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी कोटेशन को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा ।

राममोहन
(राम मोहन)
अवर सचिव,भारत सरकार

प्रतिलिपि :-

1. निर्देशक, संगणक केन्द्र, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को मंत्रालय के वेबसाइड में डालने हेतु ।
2. नौएडा आर्थोरिटी व ग्रैटर नौएडा आर्थोरिटी, उत्तर प्रदेश !